न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।

सत्र परीक्षण वाद सं0 93/2012,

सरकार बनाम लालचन्द्र आदि

थाना बसखारी, जनपद– अम्बेडकर नगर।

दिनांकः 04.07.2026

पुकार करायी गयी। अभियुक्त लालचन्द्र मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र 120ब की सुनवाई में नियत है। प्रार्थना पत्र 120ब इस आशय का दिया गया है कि प्रस्तुत मामले से संबंधित क्रॉस केस जिसका मु0अ0सं0 272ए/11, धारा 147,323,354,336,504 भा0दं0सं0 में दर्ज हुआ जिसका विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर के न्यायालय में चल रहा है। जिसे तलब कर उसका विचारण एक साथ किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था अतुल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 (3), जे0आई0सी0 270 का हवाला भी दिया।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौ0' द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध कर कथन किया गया है कि मामले को लंबित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है, खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दर्ज होने के पश्चात् दिया गया है। पत्रावली में अभियुक्तगण का बयान दिनांक 17.02.2024 को दर्ज किया जा चुका है और यह प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2024 को दिया गया जो विचारण समाप्त होने के पश्चात् दिया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा जानबूझकर विचारण के दौरान इस तथ्य को छुपाये रखा कि प्रस्तुत केस का कोई क्रॉस केस भी है। विचारण समाप्त होने के पश्चात् दिया गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें विचारण की याचना की गयी है स्वीकार होने योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत केस में लागू नहीं होती है। प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान की सूची में है, जिसका त्वरित रूप से निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09.07.2026 को पेश है।

(परवन्दि कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम)
अम्बेडकरनगर
I.D.No.UP01837

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.07.04 16:43:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court